महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013

एक दिवसीय कार्यशाला

दिनांक :– 16.01.2017

स्थान :– जिला पंचायत सभाकक्ष

आयोजक :– नवा बिहान, महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला – कबीरधाम (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013

Article

क्रमांक 14 सन् 2013

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण और प्रतितोषण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

यतः लैंगिक उत्पीड़न के परिणमस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 अधीन समानता और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवहार करने या कोई व्यवसाय, व्यपार या कारबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है,

और यतः लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून 1993 को अनुसमर्थन किया गया है,

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**—(1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013** है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख का प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम करें।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "**व्यथित महिला**" से अभिप्रेत है,—

Scanned with CamScanner

(i) किसी कार्यस्थल के संदर्भ में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अध्यधीन रहने का अभिकथन करती है;

(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संदर्भ में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे निवास स्थान या गृह में नियोजित हो;

(ख) **"समुचित सरकार" से** निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में जो,–

(अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीनया प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, केन्द्रीय सरकार;

(आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीनया प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, राज्य सरकार।

(ii) खंड (i) के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्यक्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, राज्य सरकार;

(ग) **"अध्यक्ष "** से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) **" जिला अधिकारी"** से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड़) **"घरेलू कर्मकार"** से ऐसी महिला अभिप्रेत है जा चाहे नगद या वस्तु रूप में पारिश्रमिक के लिये किसी गृह में गृह–कार्य को करने के लिये, चाहे प्रत्यक्षतः या किसी अभिकरण के माध्यम से, अस्थायी, स्थायी अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किन्तु इसमें नियोजक के परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है;

(च) **"कर्मचारी"** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकर्ता, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, के माध्यम से प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या नहीं नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा, चाहे नियोजन के निबंधन अभियक्त या विवक्षित हों या नहीं और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, शिशु, प्रशिक्षु य किसी अन्य ऐसे नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है;

Scanned with CamScanner

(छ) "नियोजक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति;

स्पष्टीकरण– इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिये "प्रबंध" में सम्मिलित है ऐसे संगठन के लिये नीतियों को बनाने और प्रशासन के लिये उत्तरदायी कोई व्यक्ति या बोर्ड या समिति;

(iii) उपखण्ड (i) और (ii) के अधीन आने वाले कार्यस्थल के संबंध में वह व्यक्ति जो उसके कर्मचारियों की बाबत् संविदाजात बाध्यता का निर्वहन कर रहा हो;

(iv) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, कोई व्यक्ति या गृहस्थी जो घरेलू कर्मकार को नियोजित करे या उसके नियोजन से लाभ प्राप्त करे, इस प्रकार नियोजित कर्मकारों की संख्या, कालावधि या प्रकार, अथवा घरेलू कर्मकार के नियोजनकी प्रकृति या उसके द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों पर विचार किये बिना;

(ज) "**आंतरिक समिति**" से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति अभिप्रेत है;

(झ) "**स्थानीय समिति**" से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति अभिप्रेत है;

(ञ) "**सदस्य**" **से**, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ट) "**विहित**" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) "**पीठासीन अधिकारी**" से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) "**प्रत्यर्थी**" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरूद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है;

(ढ) "**लैंगिक उत्पीड़न**" के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवांछनीय कृत्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तात्पर्यित) सम्मिलित है, अर्थात्–

(1) शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करना;या

(2) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना;या

(3) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना; या

(4) अश्लील साहित्य दिखाना;या

Scanned with CamScanner

(5) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर–शाब्दिक आचरण करना;

(ण) "**कार्यस्थल**" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,–

(1) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या किसी निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या भगतः, उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;

(2) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट वेन्चर, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन,सोसाइटी, न्यास,गैर–सरकारी, संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाय, विक्रय, वितरण या सेवा भी है;

(3) अस्पताल या परिचर्चा गृहः

(4) कोई खेलकूद संस्था, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतियोगिता अथवा खेल का स्थान, जो चाहे नैवासिक हो या प्रषिक्षण, खेलकूद या इससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में प्रयुक्त न किया जाता हो;

(5) नियोजन, से उद्भूत या के दौरान, कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई स्थान जिसमें सम्मिलित है ऐसी यात्रा करने के लिये नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन;

(त) किसी कार्यस्थल के संबंध में, "**असंगठित सेक्टर**" ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यष्टियों या स्वः नियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी भी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उद्यम कर्मकारों को नियोजित करता है, वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से कम है।

3. **लैंगिक उत्पीड़न का निवारण**– (1) कोई भी महिला, किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं होगी।

(2) अन्य परिस्थितियों के साथ–साथ निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वह लैंगिक उत्पीड़न के किसी कृत्य या आचरण के संबंध में या से संबद्ध होने के कारण हुई हैं या विद्यमान हैं, तो वह लैंगिक उत्पीड़न होगाः–

(1) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन; या

(2) उसके नियोजन से अहितकर व्यवहार की अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी ;या

Scanned with CamScanner

(3) उसकी वर्तमान या भावी नियोजन प्रास्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी; या

(4) किसी व्यक्ति का ऐसा आचरण, जो उसके कार्य में हस्तक्षेप करता है या उसके लिए अभित्रासमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करता है; या

(5) उसके लिए स्वास्थ्य या सुरक्षा समस्याओं का गठन करने वाला अपमानजनक आचरण।

अध्याय–2

आंतरिक परिवाद समितियों का गठन

4. **आंतरिक परिवाद समिति का गठन**–– (1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजनक, लिखित आदेष द्वारा, "आंतरिक परिवाद समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा;

परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रषासनिक यूनिटें भिन्न–भिन्न स्थानों या खंडीय या उपखंडीय स्थलों पर स्थित हैं, वहां आंतरिक समिति सभी प्रषासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएंगी।

(2) आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नामनिर्देषित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी:

परंतु किसी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध न होने की दषा में, पीठासीन अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रषासनिक यूनिटों से नामनिर्देषित किया जाएगा;

परंतु यह और कि कार्यस्थल के ऐसे अन्य कार्यालयों या प्रषासनिक यूनिटों में वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी न होने की दषा में, पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नामनिर्देषित किया जाएगा।

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है;

(ग) गैर–सरकारी संगठनों या संगमों से ऐसा एक सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विवाद्याकों से सुपरिचित हो;

परंतु इस प्रकार नामनिर्देषित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

(3) आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देषन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पदधारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

Scanned with CamScanner

(4) गैर–सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त सदस्य को, आंतरिक समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए नियोजक द्वारा ऐसी फीस या भत्ते संदत्त किये जाएंगे, जो विहित किए जाएं।

(5) जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य,–

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है;या

(ख) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध में उसके विरूद्ध जांच लंबित है; या

(ग) वह अनुषासनात्मक कार्यवाहियों में दोषी पाया जाता है या उसके विरूद्ध कोई अनुषासनात्मक कार्यवाही लंबित है;

(घ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरूपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार इस नामनिर्देषित द्वारा भरा जाएगा।

अध्याय 3

स्थानीय परिवाद समिति का गठन

5. **जिला अधिकारी की अधिसूचना**– समुचित सरकार, किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निवर्हन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

6. **स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता**:– (10) ऐसे स्थापनों से लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद प्राप्त करने के लिये जहां दस से कम कर्मकारों के होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद नियोजक के ही विरूद्ध है, तो प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, स्थानीय परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगा।

(2) जिला अधिकारी, परिवाद प्राप्त करने के लिये और उन्हे सात दिन की कालावधि के भीतर संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को अग्रेषित करने के लिए,ग्रामीण या जनजाति क्षेत्र में

Scanned with CamScanner

प्रत्येक ब्लॉक, तालुक और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड और नगरपालिका में एक नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगा।

(3) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता जिले के उन क्षेत्रों तक विस्तारित होगी जहां वह गठित की गई है।

7. **स्थानीय समिति की संरचना, कालावधि और अन्य** निबंधन **तथा शर्तें**:— (1) स्थानीय परिवाद समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्दशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष, जो समाजिक कार्य के क्षेत्र में [illegible] और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामर्दिष्ट की जाएगी ;

(ख) एक सदस्य, जो जिले में ब्लाक, तालुक या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर—सरकारी संगठनों या संगमों में से नामर्दिष्ट की जाएगी या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विवाद्यकों से सुपरिचित कोई व्यक्ति जो विहित किए जाएं:

परन्तु कम से कम नामनिर्देशिती के पास, अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान हो:

परन्तु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशित, समय—समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गो या अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी।

(घ) समाज कल्याण या महिला एंव बाल विकास विभाग में संव्यवहार करने वाला संबंधित अधिकारी पदेन सदस्य होगा।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो जिला अधिकारी द्वारा विहित की जाए।

(3) जहां स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य:—

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

Scanned with CamScanner

(ख) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध में उसके विरूद्ध जांच लंबित है; या

(ग) वह अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में दोषी पाया जाता है या उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है;

(घ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरूपयोग किया है, जिसमें उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

(4) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा(1) के खण्ड(ख) एवं (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों से भिन्न सदस्य, स्थानीय समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए ऐसी फीस या भत्ते के लिए हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं।

8. **अनुदान और संपरीक्षाः**– (1) केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशियों के अनुदान दे सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।

(2) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उपधारा(1) के अधीन किए गए अनुदान उस अभिकरण को आंबटित कर सकेगी।

(3) अभिकरण जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का संदाय करेगा, जो धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए अपेक्षित हों।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति में रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओ को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को अपने लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उसके संबंधित संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 4

परिवाद

1. **लैंगिक उत्पीड़न का परिवादः**–(1) कोई व्यक्ति महिला, कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न का लिखित में परिवाद आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार

Scanned with CamScanner

गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को, घटना की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर और घटनाओं की श्रृंखला होने की दशा में अन्तिम घटना की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर, कर सकेगी।

परंतु जहां ऐसा परिवाद लिखित में नही किया जा सकता है, वहा यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, अथवा स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्ति युक्त सहायता प्रदान करेगाः

परंतु यह कि यथावस्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिये, समयावधि को तीन माह से अनधिक के लिये विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थियिॉ ऐसी थी। जिन्होने उक्त कालावधि के भीतर परिवाद फाइल करने से महिला को निवारित कर दिया था।

(2) जहां व्यक्ति महिला, अपनी शारीरिक या मानसिक असामर्थ्य या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है तो उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।

2. **सुलहः**— (1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर , सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले का समाधान करने के उपाय कर सकेगीः

परंतु यह कि सुलह के आधार पर कोई मौद्रिक समाधान नहीं किया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समाधान हो गया है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समाधान को अभिलिखित करेगी। और उसे नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने के लिए भेजेगा, जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा(2) के अधीन अभिलिखित किए गए समाधान की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएगी।

(4) जहां उपधारा(1) के अधीन कोई समाधान हो जाता है, वहां, स्थास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जांच संचालित नहीं की जाएगी।

3. **परिवाद के बारे में जांचः**— (1) धारा 10 के उपबंधो के अधीन रहते हुए, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारीं है, वहां प्रत्यर्थी को लागु सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसरण में परिवाद के बारे में जांच करने की कार्यवाही करेगी और जहा

Scanned with CamScanner

ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं है। तो ऐसी रीति में जो कि विहित की जाए या किसी घरेलु कर्मकार की दशा में, स्थानीय समिति, यदि प्रथम दृष्ट्या मामला विद्यमान हो तो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 और उक्त संहिता के यथा प्रयोज्य अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला पंजीबद्ध करने के लिये सात दिनों की कालावधि के भीतर पुलिस को परिवाद अग्रेषित करेगीः .

परंतु जहां व्यथित महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है। कि धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किए गए समाधान के किसी निबंधन और शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति परिवाद के बारे में जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या यथास्थिति, पुलिस को परिवाद अग्रेषित करेगीः

परंतु यह और कि जहां दोनो पक्षकार कर्मचारी है तो पक्षकारों को , जांच के दौरान, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्षो की एक प्रति दोनो पक्षकारों को, समिति के समक्ष निष्कर्षो के विरूद्ध अभ्यावेदन देने हेतु समर्थ बनाने के लिए, उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) भारतीय दण्ड संहिता (1860का 45) की धारा 509 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, जबकि प्रत्यर्थी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया है, धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैः–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
(ख) किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
(ग) ऐसा काई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

Scanned with CamScanner

(4) उपधारा (1) के अधीन जांच नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

अध्याय 5

परिवाद के बारे में ज़ांच

12. **जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई —— (1)** जांच के लंबित रहने के दौरान, व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित की सिफारिष कर सकेगी,–

(क) व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल में अंतरण; या

(ख) व्यथित महिला की तीन माह तक की कालावधि की छुट्टी मंजूर करने; या

(ग) व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करने, जो विहित की जाए।

(2) इस धारा के अधीन व्यथित महिला को मंजूर की गई छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होती।

(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिष पर, नियोजक उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिषों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।

13. **जांच रिपोर्ट——(1)** इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, अपने निष्कर्षो की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिनों की कालावधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है तो वह नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिष करेगी। कि मामलें में कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है।

(3) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहां वह यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित की सिफारिष करेगी,–

Scanned with CamScanner

(1) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, वहां ऐसी रीति में जो विहि की जाए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्यवाही करने;

(2) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक. वारिस को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की ऐसी राषि की कटौती करने, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार वह अवधारित करे:

परंतु यदि नियोजक प्रत्यर्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह व्यथित महिला को ऐसे प्रतिकर का संदाय करने का प्रत्यर्थी को निर्देष दे सकेगाः

परंतु यह और कि उस दषा में जबकि प्रत्यर्थी खण्ड (2) में निर्दिष्ट राषि का संदाय प्रत्यर्थी को करने में विफल होता है तो यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, राषि की वसूली भू–राजस्व की बकाया के रूप में करने के लिये संबंधित जिला अधिकारी को आदेष अग्रेषित कर सकेगी।

(4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिष की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करेगा।

(14) मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड– (1) जहां यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है अथवा व्यथित महिला परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या होना जानते हुए किया है अथवा व्यथित महिला या पविाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेष किया है तो वह, यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को उस महिला या व्यक्ति के विरूद्ध, जिसने, यथास्थिति, धारा 9 की उपधारा (1) उप धारा (2) के अधीन परिवाद किया है, उसे लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है, वहां ऐसी रीति में, जो विहित की जाए कार्यवाही करने की सिफारिष कर सकेगीः

परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में मात्र असमर्थता, इस धारा के अधीन परिवादकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही को आकर्षित नहीं करेगीः

परंतु यह और किसी कार्यवाही की सिफारिष किए जाने से पूर्व, विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच किए जाने के पष्चात् परिवादकर्ता की ओर से द्वेषपूर्ण आषय सिद्ध किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेष किया है, वहां वह, यथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कार्यवाही करने की सिफारिष कर सकेगी।

15. **प्रतिकार का अवधारण**—— धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (2) के अधीन व्यथित महिला को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,

(क) व्यथित महिला को पहुंचाए गए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि;

(ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनः चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;

(घ) प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय प्रास्थिति;

(ड़) एक मुष्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता।

16. **परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध**—— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22)में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अंतर्वस्तुएं, व्यथित महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान और पत्ते, सुलह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित जानकारी और, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिषों तथा इस अधिनियम के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को, किसी भी रीति में, प्रकारिष प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा :

परंतु इस धारा के अधीन लैंगिक उत्पीड़न के किसी पीड़ित को अभिप्राप्त न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पत्ते, पहचान या उनकी पहचान को प्रदर्षित करने वाली किन्हीं अन्य विषिष्टियों को प्रकट किए बिना, प्रसार किया जा सकेगा।

17. **परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शास्ति**——जहां कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवादों, जांच या किन्हीं सिफारिषों या की जाने वाली कार्यवाही का संचालन करने या उस पर कार्यवाही करने का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां वह उक्त

Scanned with CamScanner

व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नही है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, शास्ति के लिए दायी होगा।

18. **अपील**— (1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3)के खंड (1) या (2) के अधीन या धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिषों या ऐसी सिफारिषों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति में अपील कर सकेगा, जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, सिफारिषों के नब्बे दिन की अवधिक के भीतर की जाएगी।

अध्याय–6

नियोजक के कर्तव्य

(क) कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न के दाण्डिक परिणाम और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेष को कार्यस्थल में किसी सहजदृष्य स्थान पर प्रदर्षित करेगा;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के संबंध में कर्मचारियोंको सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यषालाएं और जागरूकता कार्यक्रम तथा विहित रीति में आंतरिक समिति के सदस्यों के लिये अभिविन्यास कार्यक्रम संचालित करेगा;

(घ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवादों पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवष्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ड़) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी या साक्षियों की उपस्थिति सुनिष्चित करने में सहायता करेगा;

(च) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन परिवाद को ध्यान में रखकर अपेक्षित हो;

(छ) महिला को, यदि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करने का इस प्रकार चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा;

Scanned with CamScanner

(ज) अपराधकर्ता के विरूद्ध, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ करेगा, या यदि व्यथित महिला ऐसा चाहे तो, जहां अपराधकर्ता कर्मचारी न हो, ऐसे कार्यस्थल में जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना घटित हुई हो;

(झ) लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार के रूप में मानेगा और ऐसे कदाचार के लिये कार्यवाही आरंभ करेगा।

(ञ) आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टो के समय से दिए जाने को मानीटर करेगा।

अध्याय–7 : जिला अधिकारी के कर्तव्यों और शक्तियां

जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां––जिला अधिकारी,–

(क) स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के समय से दिए जाने को मानीटर करेगा;

(ख) ऐसे उपाय करेगा, जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवष्यक हों।

अध्याय 8 : प्रकीर्ण

21. **समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना**–– (1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, प्रत्येक कलैंडर वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे नियोजक और जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(2) जिला अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टो संबंधी एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।

22. **वार्षिक रिपोर्ट में नियोजक द्वारा जानकारी का सम्मिलित किया जाना**––नियोजक, अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन फाइल किए गए मामलों, यदि कोई हों, और उनके निपटारें की संख्या, को सम्मिलित करेगा या जहां ऐसी रिपोर्ट तैयार किए जाने की अपेक्षा नही की गई है, वहां ऐसे मामलों की, यदि कोई हों, संख्या जिला अधिकारी को संसूचित करेगा।

23. **समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मानिटरी और डाटा** रखा जाना–– समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मानिटरी करेगी और कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के फाइल किए गए और निपटाए गए सभी मामलों की संख्या से संबंधित डाटा रखेगी।

Scanned with CamScanner

24. **समुचित सरकार अधिनियम को प्रचारित करने के उपाय करेगी**— समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन,–

(क) महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध संरक्षण के लिये उपबन्ध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों का जनता को बोध कराने के लिये सुसंगत जानकारी, षिक्षा, संसूचना एवं प्रषिक्षण सामग्री का विकास एवं जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर सकेगी;

(ख) स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों के लिये अभिविन्यास और प्रषिक्षण कार्यक्रमों को बना सकेगी।

25. **सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति**— (1) समुचित सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवष्यक है, लिखित आदेष द्वारा–

(क) किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी लिखित सूचना प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी, जो उसे अपेक्षित हो;

(ख) किसी भी अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसे ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेष में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अभिरक्षा में की ऐसी सभी सूचना, अभिलेख और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय –वस्तु को प्रभावित करते हैं।

26. **अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति**— (1)जहां कोई नियोजक, –

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहता है;

(ख) धाराओं 13,14, और 22 के अधीन कार्यवाही करने में असफल रहता है; और

(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उसके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करता है, वहां वह ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई नियोजक पूर्व में, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में सिद्धदोष ठहराए जाने पर, बाद में उसी अपराध को पुनः कारित करता है और उसके लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह,–

Scanned with CamScanner

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न

(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 769 (अ) दिनांक 9 दिसम्बर,2013–केन्द्रीय सरकार, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 का 14) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं– इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) "अधिनियम " से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 का 14) अभिप्रेत है;

   (ख) "शिकायत" से धारा 9 के अधीन की गई शिकायत अभिप्रेत है;

   (ग) "शिकायत समिति" से आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति अभिप्रेत है;

   (घ) "घटना" से धारा 2 के खंड (ढ) में यथा–परिभाषित लैंगिक उत्पीड़न की घटना अभिप्रेत है;

   (ड.) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

   (च) "विशेष शिक्षक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विशेष जरूरतों वाले लोगों के साथ ऐसे ढंग से संचार करने के लिए प्रशिक्षित है, जिससे उनके व्यक्तिगत मतभेदों एवं आवश्यकताओं का समाधान होता है;

   (छ) वह शब्द और पद जो यहां प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, उनके अर्थ वही होंगे, जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते– (1) गैर–सरकारी संगठनों में नियुक्त सदस्य, आंतरिक समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 200 रूपये के भते के हकदार होंगे, और उक्त सदस्य रेलगाड़ी से थ्री टायर वातानुकूलन या वातानुकूलित बस से तथा आटोरिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि जो भी कम हो प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।

   (2) नियोक्ता उप–नियम (1) में निर्दिष्ट भत्तों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा।

Scanned with CamScanner

(ठ) धारा 19 के खण्ड (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिये कार्यषालाएं, जागरूकता कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिये अभिविन्यास कार्यक्रम संचालित करने क रीति;

(ड़) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाषीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, ज बवह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों में ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पष्चात् वह नियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा; किन्तु तथापि, नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के, जहां उसके दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां उसका केवल एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

(30) कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति–– (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवष्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेष इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेष को, उसे किए जाने के पष्चात् यथासंभव शीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

Scanned with CamScanner

4. **लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति**–धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता प्राप्त हो तथा इसमें निम्नलिखित में से कोई सम्मिलित हो सकेगा–

(क) समाज कार्य के क्षेत्र में कम से कम 5 साल के अनुभव वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के सशक्तिकरण तथा विशिष्टतया कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की समस्या को दूर करने के लिए अनुकूल सामाजिक स्थितियों का सृजन करने का मार्ग प्रशस्त करता है ;

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसे श्रम, रोजगार, सिविल या दांडिक विधि में अर्हता प्राप्त है।

5. **स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या भत्ता**–(1) स्थानीय समिति के अध्यक्ष उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250 रूपये (दो सौ पचास रूपये) के भत्ते के लिए हकदार होगें।

(2) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न स्थानीय समिति के सदस्य, उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन दो सौ रूपये के भत्ते के हकदार होंगे और रेलगाड़ियों से थ्री टायर वातानुकूलन, वातानुकूलित बस से तथा आटो रिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक लागत जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।

6. **लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत**–धारा 9 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए,

(1) जहां व्यथित महिला, अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है–

(क) उसका नातेदार या मित्र, अथवा

(ख) उसका सहकर्मी ; या

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी ;या

(घ) व्यथित महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है।

(2) जहां, व्यथित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है–

(क) उसका नातेदार या मित्र ; अथवा

(ख) कोई विशेष शिक्षक ; या

(ग) कोई अर्हित मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक अथवा

Scanned with CamScanner

(घ)संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही हैं;

(ड.) उसके नातेदार या दोस्त या विशेष शिक्षक या अर्हता–प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या सरंक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लैंगिक उत्पीड़न की जानकारी है

(3) जहां व्यथित महिला, किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ हैं, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसा व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है।

(4) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकेगी।

7. **शिकायत की जांच का ढंग–** **(1)** शिकायत फाइल करते समय, धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेंजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी।

(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेंजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनाधिक अवधि के भीतर दस्तावेंजो की सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।

(4) शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी।

(5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी पर्याप्त कारण के बिना यथास्थिति अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा आयोजित लगातार तीन सुनवाईयों में अनुपस्थित रहता है या रहती है;

परन्तु संबंधित पक्षकार को अग्रिम में लिखित रूप में पन्द्रह दिन का नोटिस दिए बिना ऐसी समाप्ति या एक पक्षीय आदेश पारित नहीं किया जा सकेगा।

(6) पक्षकारों को शिकायत समिति के समक्ष काग्रवी के किसी चरण में अपने मामलें का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी विधिक व्यायसायी को लाने की अनुमति नहीं होगी।

(7) जांच का संचालन करते समय, शिकायत समिति के कम से कम तीनसदस्य जिसमें यथास्थिति पीठासीन अधिकारी अथवा अध्यक्ष हो, उपस्थित होंगे।

Scanned with CamScanner

8. जांच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष– व्यथित महिला के लिखित रूप में अनुरोध पर, शिकायत समिति नियोक्ता से निम्नलिखित की सिफारिश कर सकती है:

(क) व्यथित महिला के कार्य निष्पादन या उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने तथा इसे किसी अन्य अधिकारी को आबंटित करने से प्रत्यर्थी को अवरूद्ध करना।

(ख) शैक्षिक संस्था के मामलें में व्यथित महिला की किसी शैक्षिक गतिविधि का पर्यवेक्षण करने से प्रत्यर्थी को अवरूद्ध करना।

9. **लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्यवाही करने की रीति**– ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां सेवा नियम विद्यमान है जहां शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध अभिकथन साबित हो गए है, यह यथास्थिति नियोक्ता या जिलाधिकारी से कार्यवाही करन की सिफारिश कर सकती हैं जिसमें लिखित रूप में क्षमा याचना करना, चेतावनी जारी करना, डांटना या निंदा करना, प्रोन्नति रोकना, वेतनबढ़ोत्तरी या वेतनवृद्धि रोकना, प्रत्यर्थी को सेवा समाप्ति करने या परामर्श सत्र में भाग लेने या सामुदायिक सेवा करने का आदेश देना शामिल है।

10. **मिथ्या अथवा दुर्भावपूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्यवाही**–उन मामलों के सिवाय जहां सेवा नियम विद्यमान है, जहां शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध अभिकथन दुर्भावपूर्ण है अथवा व्यथित महिला अथवा शिकायत करने वाले अन्य किसी व्यक्ति ने यह जानते हुए कि यह मिथ्या है शिकायत की है अथवा व्यथित महिला या शिकायत करने वाले किसी व्यक्ति ने कूटरचित अथवा भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किए है तो यह यथास्थिति नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को नियम 9 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकेगी।

11. **अपील**– धारा 18 के उपबंधों के अधीन, धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (1) या खण्ड (2) के अधीन अथवा धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2)या धारा 17 के अधीन की गयी सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किये जाने से व्यथित कोई व्यक्ति औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 (1946 का 20) की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित अपीली प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

Scanned with CamScanner

12. धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड–धारा 17 के उपबंधों के अधीन, यदि कोई व्यक्ति धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो नियोक्ता ऐसे व्यक्ति से शास्ति के रूप में पांच हजार रूपये की राशि की वसूली करेगा।

13. **कार्यशालाएं आदि आयोजित करने की रीतिः**– धारा 19 के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक नियोक्ता,–

(क) कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के प्रतिषेध, निवारण एवं प्रतितोष के लिए एक आंतरिक नीति या चार्टर या संकल्प या घोषणा तैयार करेगा तथा उसका व्यापक प्रसार करेगा, जिसका आशय लिंग संवेदी सुरक्षित स्थानों को बढ़ावा देना तथा ऐसे अंतर्निहित कारकों का निवारण करना है, जो महिलाओं के विरूद्ध प्रतिकूल कार्य परिवेश में योगदान करते है;

(ख) आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए, प्रबोधन कार्यक्रमों एवं सेमिनारों का क्रियान्वयन करेगा;

(ग) कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगा तथा संवादों के लिए मंच का सृजन करेगा जिसमें पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम सभा, महिला समूह, मातृ समितियां, किशोर समूह, शहरी स्थानीय निकाय तथा कोई अन्य निकाय, जिसे आवश्यक समझा जाए अंतर्वलित हो सकते है;

(घ) आंतरिक समिति के सभी सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण एवं कौशल निर्माण कार्यक्रमों का संचालन करेगा ;

(ड़) आंतरिक समिति के सभ सदस्यों के नामों एवं संपर्क के ब्यौरों की घोषणा करेगा;

(च) अधिनियम के उपबंधों के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए, कार्यशालाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए, राज्य सरकारों द्वारा विकसित मापदंडों का उपयोग करेगा।

14. **वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना**– वार्षिक रिपोर्ट जिसे धारा 21 के अंतर्गत शिकायत समिति द्वारा तैयार किया जाएगा, में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे'–

(क) वर्ष में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या ;

(ख) ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निस्तावरण किया गया;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या जो नब्बे दिन से अधिक अवधि तक लंबित है ;

(घ) लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या;

Scanned with CamScanner

दण्ड विधि (संशोधन)
अधिनियम, 2013
क्र. 13 सन् 2013

भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः– (1) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 हैं।
2. यह 3 फरवरी, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय 2
भारतीय दण्ड संहिता का संशोधन

2. **धारा 100 संशोधनः**– भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दण्ड संहिता कहा गया है) की धारा 100 में, खण्ड छठवां के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

सातवां – अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी।

3. **नई धारा 166क और धारा 166ख का अंतः स्थापन – दण्ड संहिता की धारा के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतः– स्थापित की जाएंगी,अर्थात्**

166क. लोक सेवक, जो जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है– जो कोई लोक सेवक होते हुएः–

(क) विधि के किसी ऐसे निर्देश की, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा है, या

(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियत करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुए अवज्ञा है, या

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 की उपधारा (1) के अधी, धारा 326क, धारा 376 क्र. धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 ध , धारा 376 ड़ या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है,

यह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

166 ख. **पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड**–जो कोई ऐसे किसी लोक या प्रायवेट अस्पताल का, चाहे वह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य

Scanned with CamScanner

व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भारसाधक होते हुए दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 ग के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

4. **धारा 228 क का संशोधन** –दण्ड संहिता की धारा 228 क की उपधारा (1) में, "धारा 376, धारा 376क, धारा 376 ख, धारा 376ग या धारा 376 घ " शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर "धारा 376, धारा376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ या धारा 376 ड़ " शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

5. **नई धारा 326 क और धारा 326 ख का अंतः स्थापन** –दण्ड संहिता की धारा 326, के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्–

'**326 क, अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया छोर उपहति कारित करना,**– जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यकित पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का, ऐसा कारित करने के आषय या ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह ऐसी क्षति या उपहति कारित करे, प्रयोग करके स्थायी या आंषिक नुकसान कारित करता है या अंगविकार करता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है या निःषक्त बनाता है या घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगाः

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चो को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा।

326 ख, स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना– जो,कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंषिक नुकसान कारित करने या उसका अंगविकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निःषक्त बनाने या घोर उपहति कारित करने के आषय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है या किसी अन्य साधन का उपयोग करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1.–धारा 326 क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अम्ल" में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है, जिससे क्षतचिह्न बन जाते हैं या विद्रूपता या अस्थायी या स्थायी निःषक्तता हो जाती है।

Scanned with CamScanner

स्पष्टीकरण 2– धारा 326 क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंषिक नुकसान या अंगविकार का अपरिवर्तनीय होना आवष्यक नहीं होगा।'।

6. **धारा 354 का संशोधन**– दण्ड संहिता की धारा 354 में, "वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर " वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे।

7. **नई धारा 354 क, धारा 354 ख, धारा 354 ग और धारा 354 घ का अंतः स्थापन**–दण्ड संहिता की धारा 354 के पष्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

' 354 क लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिये दण्डः– (1) ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात्–

1. शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हों; या
2. लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने; या
3. किसी स्त्री की इच्छा के विरूद्ध बलात् अष्लील साहित्य दिखाने; या
4. लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने,

वाला पुरूष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

(2) ऐसा कोई पुरूष, जो उपधारा (1) के खण्ड (1) या खण्ड(2) या खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(3) ऐसा कोई पुरूष, जो उपधारा (1) के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

354 ख, विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग– ऐसा कोई पुरूष, जो किसी स्त्री को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आषय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

354 ग, दृश्यरतिकताः– ऐसा कोई पुरूष, जो कोई ऐसी किसी स्त्री को, जो उन परिस्थितियों के अधीन, जिनमें वह यह प्रत्याषा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, किसी प्राइवेत कृत्य में लगी किसी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से,

Scanned with CamScanner

जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 –इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "प्राइवेट कृत्य" के अंतर्गत ऐसे किसी स्थान में देखने का कार्य किया जाता है, जिसके संबंध में, परिस्थितियों के अधीन, **युक्तियुक्त** रूप से यह प्रत्याषा की जाती है कि वहां एकांतता होगी और जहां कि पीड़िता के जननांगो, नितंबों, या वक्षस्थलों को अभिदर्षित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढंका जाता है अथवा जहां पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रही है; या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधरणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2– जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा की अधीन अपराध माना जाएगा।

354 घ. पीछा करना:– (1) ऐसा कोई पुरूष, जो–

(1) किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्षित किए जाने के बावजूद, बारंबार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है ; अथवा

(2) जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ई–मेल या किसी अन्य प्ररूप की इलैक्ट्रानिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मानीटर करता है,

वह पीछा करने का अपरध करता है:

परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा, यदि वह पुरूष, जो ऐसा करता है, यह साबित कर देता है कि–

(1) ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरूष को राज्य द्वारा उस अपराा के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था; या

(2) ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था; या

(3) विषिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्तियुक्त और न्यायोचित था।

(2) जो कोई पीछा करनेष का अपराध करता है, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ; और द्वितीय तथा पष्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।'।

6. **धारा 370 के स्थान पर नई धारा 370 और धारा 370 क का प्रतिस्थापन:–** दण्ड संहिता की धारा 370 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्–

' **370 व्यक्ति का दुर्व्यापार** –(1) जो कोई, शोषण के प्रयोजन के लिये,–

पहला,– धमकियों का प्रयोग करके; या

दूसरा,– बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके; या

Scanned with CamScanner

तीसरा,– अपहरण द्वारा ; या

चौथा,– कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा, या

पांचवां– शक्ति का दुरूपयोग करके, या,

छठवां,–उत्प्रेरणा द्वारा जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की, जो भर्ती किए गए, परिवहनित, सश्रित, स्थानंतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को (क) भर्ती करता है, (ख) परिवहनित करता है, (ग) संश्रय देता है, (घ) स्थानांतरित करता है, या (ड) गृहीत करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1–"शोषण पद " पद के शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता या दासता, अधिसेविता के सामान व्यवहार या अंगो का बलात् अपसारण भी है।

स्पष्टीकरण 2.– दुर्व्यपार के अपराध के अवधारण में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।

(2) जो कोई दुर्व्यपार का अपराध करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(3) जहां अपराध में एक से अधीक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी। किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(4) जहां अपराध में किसी अवयस्क का दुर्व्यपार अंतर्वलित है, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी। किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगां

(5) जहां अपराध में एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यपार अंतर्वलित है, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगां।

(6) यदि किसी व्यक्ति को अवयस्क का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(7) जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित है, वहां ऐसा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

370क. ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण (1) जो कोई यह जानते हुए या बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी अवयस्क का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक ही हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

9. **धारा 375, धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग और 376 घ के स्थान नई धाराओं का प्रतिस्थापन,**–दण्ड संहिता की धारा 375, धारा 376, धारा 376 क,

Scanned with CamScanner

धारा 376 ख, धारा 376ग और धारा 376 घ के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएगी, अर्थात् –

' **375. बलात्संग**– यदि कोई पुरूष–

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेष करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेषन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है

तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहां ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है:–

पहला.–उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।

दूसरा– उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा– उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहित के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथा– उस स्त्री की सम्मति से, जब कि वह पुरूष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विष्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरूष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विष्वास करती है।

पांचवा– उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचित्तता या मत्तता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से कोइ संज्ञानषून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छटवां– उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की है।

सातवां––जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

स्पष्टीकरण 1.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''योनि'' के अंतर्गत वृहत् भगौष्ठ भी है।

स्पष्टीकरण 2.– सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करती है:

परंतु ऐसी स्त्री के बारे में, जो प्रवेषन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने विनिर्दिष्ट लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति प्रदान की है।

अपवाद–किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा।

अपवाद – किसी पुरूष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य, यदि पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं हैं

Scanned with CamScanner

376. बलात्संग के लिए दण्ड –(1) जो कोई, उपधारा(2)में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष कम से कम की नही होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई–

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए–

(1)उस पुलिस थाने की, जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है, सीमाओं के भीतर, या

(2) किसी भी थाने के परिसर में;या

(3)ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में,

किसी स्त्री से बलात्संग करेगा;या

(ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा;या

(ग) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए, उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा;या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृन्द में होते हुए, ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा;या

(ड) किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृन्द में होते हुए, उस अस्पलात में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा;या

(च) स्त्री का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए, उसी स्त्री से बलात्संग करेगा;या

(छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा; या

(ज) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्संग करेगा ;या

(झ) किसी स्त्री से, जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा;या

(ञ) उस स्त्री से, जो सम्मति देने में असमर्थ है, बलात्संग करेगा;या

(ट) किसी स्त्री पर नियत्रंण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग;या

(ठ) मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से गासित किसी स्त्री से बलात्संग करेगा;या

(ड)बलातसंग करते समय किसी स्त्री को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकालांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा;या

(ढ) उस स्त्री से बार बार बलात्संग करेगा।

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण.– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "**सशस्त्र बल**" से नौसेनिक, सैनिक और वायु सैनिक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सषस्त्र बलों का, जिसमें ऐसे अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, कोई सदस्य भी है;

(ख) "**अस्पताल**" से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है, जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सीय

Scanned with CamScanner

देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेष और उपचार करने के लिए है;

(ग) "**पुलिस अधिकारी**" का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) के अधीन "पुलिस" पद में उसका है;

(घ)' "**स्त्रियों का बालकों की संस्था**" से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो।

376 क पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड– जो कोई, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करता है ओर ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाता है जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दषा लगातार विकृतषील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

376 ख. पति द्वारा अपनी पत्नि की पृथक्करण के दौरान मैथुन–जो कोई, अपनी पत्नि के साथ , जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा, पृथक रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण.–इस धारा में, "मैथुन" से धारा 375 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है।

376 ग. प्राधिकरण में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन.– जो कोई,–

(क) प्राधिकार की किसी स्थिति या वैष्वासिक संबंध रखते हुए ; या

(ख) कोई लोक सेवक होते हुए; या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिपेषण–गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए;

.ऐसी किसी स्त्री को जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भारसाधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करने हेतु जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नही आता है उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरूप्योग करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम का नही होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा में मैथुन से धारा 375 क खण्ड क से खण्ड घ में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेता होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनो के लिये धारा 375का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा।

Scanned with CamScanner

स्पष्टीकरण– किसी जेल, प्रतिप्रेषण – गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के संबंध में, "अधीक्षक" के अंतर्गत कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके निवासियो पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है।

स्पष्टीकरण – " अस्पताल " और " स्त्रियों या बालको की संख्या" पदो क क्रमशः वही अर्थ होगा जो धारा 376 की उपधारा 2 के स्पष्टीकरण में उनका है।

376घ– सामूहिक बलात्संग– जहां किसी स्त्री से,एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकगी जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगाः

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चो को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगाः

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत्त किया जाएगा।

376ड़. पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड– जो कोई, धारा 376क या धारा 376घ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये पूर्व में दंडित किया गया है। और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहाराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

10. धारा 509 का संशोधन – दण्ड संहिता की धारा 509 में, "वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी , जुर्माने से या दोनो से, दण्डित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर," सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 3
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के संशोधन

11. धारा 26 का संशोधन–दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दण्ड प्रक्रिया संहिता कहा गया है) की धारा 26 के खंड (क) के परन्तुक में "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और धारा 376 क से धारा 376 घ" शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ या धारा 376 ड़ " शब्द अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

12. धारा 54 का संशोधन–दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 क में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्–

"परन्तु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःषक्त है, तो शनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिष्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों :

Scanned with CamScanner

परन्तु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःषक्त है, तो शनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।''।

13. धारा **154 का संशोधन**–दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

'' परन्तुक यदि किसी स्त्री द्वारा, जिसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 326 क, धारा 326 ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354 ग, धारा घ, धारा 376, धारा 376 क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376 ड या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

परन्तु यह और कि:

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354 घ, धारा 376धारा 376 क, धारा 376ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376ड़ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःषक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के,जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास–स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विषेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी;

(ख) ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की विडियों फिल्म तैयार की जाएगी;

(ग) पुलिस अधिकारी धारा 164 की उपधारा (5 क) के खण्ड (क) के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभवषीघ्र अभिलिखित कराएगा।''।

14. **धारा 160 का संशोधन**– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 की उपधारा (1) के परन्तुक में, ''जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु का है या किसी स्त्री से '' शब्दों के स्थान पर, ''जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु का या पैंसठ

वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से'' शब्द रखे जाएगें।

15. **धारा 161 का संशोधन**– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की उपधारा (3) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह है, कि किसी ऐसी स्त्री का कथन, जिसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 354,धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ड़, या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला पुलिस अधीकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

16. **धारा 164 का संशोधन**– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्

Scanned with CamScanner

(5क) (क) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा, 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ड़, या धारा 509 के अधीन दण्डनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके विरूद्ध उपधारा(5) में विहित रीति में, ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगाः

परन्तु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगाः

परन्तु यह और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अथायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872(1872 का 1) की धारा 137 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की, विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना, ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।

17. **धारा 173 का संशोधन** – दण्ड प्रेक्रिया संहिता की धारा 173 उपधारा (2) के खंड (1) के उपखंड (ज) में " या धारा 376घ" शब्दों,अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 376घ या धारा 376ड़ "शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

18. **धारा 197 का संशोधन**– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएग, अर्थात्:–

"स्पष्टीकरण– शंकाओं को दूर करने के लिए वह घोषित किया जाता है कि ऐसे किसी लोक सेवक की दशा में, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है, कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166क, धारा 166ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धरा 376ग, धरा 376घ या धारा 509 के अधीन कोई अपराध किया है, कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी।

19. **नई धारा 198ख का अंतःस्थापन** – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 198क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्

"198 ख. **अपराध का संज्ञान**– कोई न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 खा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है, उन तथ्यों का, जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरूद्ध परिवाद फाइल किए जाने पर अपराध गठित होता है, प्रथमदृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा।"।

20. **धारा 273 का संशोधन**–दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 में स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्–

Scanned with CamScanner

"परन्तुक जहां अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री का, जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहां न्यायालय यह सुनिष्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिष्चित करते हुए,, समुचित उपाय कर सकेगा।"।

21. **धारा 309 का संशोधन**—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्—

" (1) प्रत्येक जांच या विचारण में, कार्यवाहियां सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन—प्रतिदिन जारी रखी जाएंगी, जब तक कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवष्यक न समझे:

परन्तु जब जांच या विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, 376 ख, धारा 376 ग या धारा 376 घ के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, जब जांच या विचारण, यथासंभव आरोपपत्र फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।"

22. **धारा 327 का संशोधन**—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उपधारा (2) में, "या धारा 376 घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376 घ या धारा 376ड़" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

23.**नई धारा 357 ख और धारा 357 ग का अंतः स्थापन**—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थातः—

"357 ख. प्रतिकर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के या धारा 376 घ के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त होना—भारतीय दण्ड संहिता की धारा 357 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर धारा 326क या धारा 376 घ के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय करने के अतिरिक्त होगा।

357ग. पीड़ितों का उपचार— सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 326क, धारा 376, धारा 376क, 376ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ या धारा 376ड. के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितो को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देगें।

24. **प्रथम अनुसूची का संशोधन**—दण्ड प्रकिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, "1 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध " शीर्ष के अधीन,—

(क) धारा 166 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6
"166क,	लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है।	कम से कम छह माह के लिए कारावास जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिलस्ट्रेट
166ख,	अस्पताल द्वारा पीड़ित का उपचार न किया जाना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिलस्ट्रेट

(ख) धारा 326 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी

1	2	3	4	5	6
"326क,	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
326 ख,	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना।	पंच वर्ष के लिए कारावास किन्तु जो सात वर्ष तक का ही हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

(ग) धारा 354 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अथार्तः–

1	2	3	4	5	6
"354क,	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक	एक वर्ष के लिए कारावास, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन मजिस्ट्रेट

Scanned with CamScanner

	बल का प्रयोग ।				

दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013

1	2	3	4	5	6
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन मजिस्ट्रेट

(घ) धारा 370 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियों रखी जाएंगी अर्थात्

1	2	3	4	5	6
"370	व्यक्ति का दुर्व्यापार	कम से कम सात वर्ष का कारावास, किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार	कम से कम दस वर्ष का कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	किसी अवयस्क का दुर्व्यापार	कम से कम दस वर्ष का कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार ।	कम से कम चौदह वर्ष का कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर अवयस्क के दुर्व्यापार पर अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहाराया जाना।	आजीवन कारवास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6
	किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति, जिससे बलात्संग किया गया है न्यास या प्राधिकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा या उसके व्यक्ति के, जिससे बलात्संग किया गया है। किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग		संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
376क	बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतशील दशा हो जाती हैं।	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यूदंड।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
376ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन ।	कम से कम दो वर्ष का कारावास, किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय किन्तु केवल पीड़िता द्वारा परिवाद करने पर	अजमानतीय	सेषन न्यायालय
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन	कम से कम पांच वर्ष का कठोर कारावास किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6
376घ	सामूहिक बलात्संग	कम से कम बीस वर्ष का कठोर कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माना जिसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
376ड़	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी ।	आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यू दंड।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

(च) धारा 509 से संबंधित प्रविष्टि के स्तभं (3) में " एक वर्ष के लिए सादा कारावास या जुर्माना या दोनो शब्दों के स्थान पर तीन वर्ष के लिए सादा और जुर्माना शब्द रखे जाएंगें।

अध्याय 4
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का संशोधन

25. नई धारा 53क का अंतः स्थापन– भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1) (जिसे इस अध्याय मे इसके पश्चात् साक्ष्य अधिनियम कहा गया) की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अतः स्थापित की जाएगी।

अर्थातः

"53क कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना– भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा, 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ड़, के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध के

Scanned with CamScanner

करने के प्रयत्न के लिए, जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है, वहां पांडिता के शील या ऐसे का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के मुददे पर सुसंगत नहीं होगां

26. धारा 114क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन– साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के स्थान पर , निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्

'114क बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में

उपधारणा– भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2)के खण्ड (क) खण्ड (ख) खण्ड (ग) खण्ड (घ) खण्ड (ड़) खण्ड (च) खण्ड (छ) खण्ड (झ) खण्ड (ञ) खण्ड (ट) खण्ड (ठ) खण्ड(ड) या खण्ड(ढ) के अधीन बलात्संग के किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है, और प्रशन यह है, कि क्या वह उस स्त्री की, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है, कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।

स्पश्टीकरण –धारा में मैथुन से भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 375 के खण्ड (क) से खण्ड (घ) में वणित कोई कार्य अभिप्रेत होगा।

27. धारा199 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन – साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अथार्त

119 साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना– ऐसा कोई साक्षी, जो बोलने मे असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीति में ,

28. धारा 146 का संशोधन– साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा अर्थात

परन्तु भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376घ, धारा 376ग, धारा 376ड़, के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे अभियोजन में, कहां व्यक्ति के साथ पूर्व लैगिंक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति की प्रकृति के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा।

अध्याय 5

लैगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम , 2012 का संशोधन

29. धारा 42 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन – लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) की धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएगी , अथात्

42 आनुकल्पिक दंड– जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 166क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370क, धारा 375, धारा 375क धारा 376ग, धारा 376घ, धारा ड़ या धारा 509 के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि मं अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भ, ऐसे अपराध का दोषी पाय गया अपराधी उस दंड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मात्रा में गुरूतर है।

42. क. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण मे न होना– इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अभ्यारोही प्रभाव होगा।

Scanned with CamScanner